

पत्रांक : 10/व1-48/2014 (अंश-1)...346

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

❖ द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 09/02/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर वेतन मद में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु गैर वेतन मद में रू० 47,00,000/- (सैतालीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

- उपर्युक्त विषयक कहना है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजटीय उपबंध के अवशेष राशि रूपये 47,00,000/- (सैतालीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।
- स्वीकृत राशि में 47,00,000/- (सैतालीस लाख रुपये) मात्र का विकलन माँग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष-110-अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता उप शीर्ष-0006-सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विषय शीर्ष-0006-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-21-2202021100006 के अंतर्गत होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मूल बजटीय उपबंध में 4,00,00,000/- (चार करोड़) उपबंधित है एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से रू० 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध प्राप्त है।
  - राशि का आवंटन C.F.M.S के माध्यम से विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा CFMS की विहित प्रक्रिया के माध्यम से BTC-42 पर विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से "Payee Name-Simultala Awasiya Vidyalaya, Authorised E mail ID-savbihar@gmail.com, Authorised Mobile No.-8709476401, A/C Type- Saving Account, Account Holder-Joint, A/c Holder Name- Principal & Account Officer, IFSC Code- SBIN0003456, Bank Name- SBI Simultala, A/c Number- 31384763271, TAN No. PTNS04622C, PAN No.-AARAS6693R, Address- Simultala Avasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar-811316" में राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।
  - विभाग को विहित प्रपत्र में ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संस्था के प्राचार्य की होगी एवम् विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
  - राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं०-2561, दिनांक-17.04.1998, वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 एवं वित्त विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों, परिपत्रों और अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।
  - राशि का व्यय गैर वेतन मद में किया जाना है। इसे पेंशन मद में व्यय नहीं किया जाएगा।
  - वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. संचिका संख्या-10/व1-48/2014 (अंश-1) के पृष्ठ-53-54/टि० के नोट-65 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. संचिका संख्या-10/व1-48/2014 (अंश-1) के पृष्ठ-55/टि० के नोट-70 पर अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश  
ह/-

(ललन कुमार मंडल )

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक .....

ज्ञांपाक : 10/व1-48/2014 (अंश-1) .....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 09/02/2026

ज्ञांपाक : 10/व1-48/2014 (अंश-1) 346

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला पदाधिकारी, जमुई/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/02/20

उप सचिव, शिक्षा विभाग।